

राज्य योजना आयोग

उत्तराखण्ड शासन

नियोजन विभाग

संख्या /दो-106(3)/रा0यो0आ0(46)/2019-20

देहरादून दिनांक दिसम्बर 2019

निविदा विज्ञप्ति

राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड शासन द्वारा कम्प्यूटर सैट,लैपटॉप, पिंटर क्रय किये जाना प्रस्तावित है। उक्त सामग्रियों को गुणवत्ता युक्त एवं न्यूनतम दरों पर क्रय किये जाने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्यूरमेंट) नियमावली-2017 के अधीन निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अन्तर्गत इस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त फर्मों/ संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति नग (रूपये में)	जी०एस०टी०की दर प्रति नग
1	Desktop/ Tower Computer- 1- Operating System – Windows 2-Core i5,i7, -7 th / 8 th /9 th Gen, 3- HDD- 1 TB 4- RAM – 4 GB/ 8GB 5-Monitor – 18.5”		
2	Laptop- 1- Operating System – Windows 2-Core i5, i7- 8 th Gen, 3- HDD- 1 TB 4- RAM – 8GB , 14”		
3	Laser Printer – Multifuction (Print/Copy/Scan/Fax) / with Wireless Connectivity		
4	Laser Printer –with Wireless Connectivity		
5	Multifuction Printer (Mobile)- (Print/Copy/Scan/Fax) 1-Up to 20/19 ppm(Draft)/10/7 ppm(ISO)(Blk/Clr) 2-Duty Cycle up to 500 pages per 3-2.65” CGD DISPLAY, IR Touch, USB 2-0 device,1USB2.0 host, Wireless,wifi direct, processor speed-700 MHz, 4-Memory -256 MB DDR3		

1- निविदादाता फर्म व्यापार कर/ आयकर में पंजीकृत होनी आवश्यक है।

- 2- निविदा प्रपत्र दिनांक 16-12-2019 से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय राज्य योजना आयोग, विश्वकर्मा भवन, चतुर्थ तल, कमरा नं0-413, सचिवालय परिसर, देहरादून से रू0 590.00(पांच सौ नव्वे मात्र) सभी कर सहित नकद भुगतान करने पर क्रय की जा सकती है।
- 3- निविदा के साथ आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में रू0 10000.00 की जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/ डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- 4- निविदा सील बंद बड़े लिफाफे में अलग-अलग तकनीक निविदा व वित्तीय निविदा के रूप में दिनांक 30-12-2019के अपराह्न 2.30 बजे तक कार्यालय में जमा की जायेगी तथा इसी तिथि को सांय 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5- निविदादाता फर्म को सम्बन्धित सामग्री का अधिकृत बिक्रेता होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 6- निविदादाता फर्म को आयकर एवं व्यापार कर में पंजीकृत होनी आवश्यक होगा।
- 7- चयनित निविदादाता द्वारा निविदा की दर एवं शर्तों के अधीन सामग्री की आपूर्ति 15 दिन में करनी आवश्यक होगी।
- 8- चयनित निविदादाता फर्म की जमानत धनराशि सामग्री आपूर्ति के 01 वर्ष तक कार्यालय में बन्धक रहेगी।
- 9- निविदा समिति को गुणावगुण के आधार पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निहित होगा।
- 10- उक्त विज्ञापन राज्य योजना आयोग की वैबसाईड WWW.spc.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

संयुक्त निदेशक